

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,

प्रधान कार्यालय, "सहकार भवन, झालावाड़" एन.एच-52, झालरापाटन-326023

क्रमांक:-जेकेएसबी/फा.()ले.एवं वि./2025-26/3939-40 दिनांक:-24 FEB 2026

:: कार्यालय आदेश ::

बैंक आदेश क्रमांक 1334-35 दिनांक 09.07.2025 में आशिक संशोधन करते हुये अमानतों पर देय ब्याज दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है जो दिनांक 04.03.2026 से प्रभावी रहेगी-

क्र.स.	अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	7 दिवस से 14 दिवस	3.00
2	15 दिवस से 29 दिवस	4.30
3	30 दिवस से 45 दिवस	4.50
4	46 दिवस से 90 दिवस	5.00
5	91 दिवस से 179 दिवस तक	5.30
6	180 दिवस से 270 दिवस तक	6.00
7	271 दिवस से 1 वर्ष से कम तक	6.10
8	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	6.60
9	455 दिवस पर	6.75
10	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	6.50
11	5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक	6.50

नोट:-

- बचत खातों पर 3.00% वार्षिक एवं 1.00 लाख से अधिक जमा पर 4.00% वार्षिक ब्याज दर देय होगी।
- बैंक स्टॉफ के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपरोक्त दरों से 1.00% ब्याज दर अधिक देय होगी।
- 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रु. 10,000/- या इससे अधिक न्यूनतम 1 वर्ष की मियादी एवं मासिक आवर्तक जमाओं पर ही उपरोक्त ब्याज दरों से 0.50% अधिक ब्याज दर देय होगी।
- समय पूर्व अमानतों के भुगतान पर जमा अवधि पर लागू ब्याज दर से 1.00% कम ब्याज दिया जावेगा।
- 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़ तक की मियादी अमानत जमा कराने पर 1 वर्ष से अधिक के प्रत्येक स्लेब पर 0.05% अधिक ब्याज दर देय होगी।
- 2.00 करोड़ से अधिक की मियादी अमानत जमा कराने पर 1 वर्ष से अधिक के प्रत्येक स्लेब पर 0.10% अधिक ब्याज दर देय होगी।

क्रमांक : 3939-40

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- अधिशायी अधिकारी/ अतिरिक्त अधिशायी अधिकारी, प्रधान कार्यालय।
- वरि० प्रबंधक ()/प्रबंधक/कार्यवाहक प्रबंधक, प्रधान कार्यालय।
- वरि० कम्प्यूटर प्रोग्रामर, प्रधान कार्यालय को भेजकर निर्देश है कि उक्त आदेश की पालना में दिनांक 04.03.2026 से सीबीएस के अन्तर्गत अमानतों की ब्याज दरें संशोधित करावें।
- शाखा प्रबंधक, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, शाखा:- समस्त।

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 24 FEB 2026

वरि० प्रबंधक(लेखा एवं वित्त)